राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर,

अपील संख्या :–3585/2022

मनीषा शर्मा (कर्मचारी आई.डी.–आरजेएएल20152029353) **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, कृषि उद्यानिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त, कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर।
3. पिंकी चौधरी, कृषि पर्यवेक्षक, मु. ढाढर, सहायक निदेशक, कृषि (वि) चूरू।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 28.07.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, अति. राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थिया ने यह कथन किये हैं कि अपीलार्थिया वर्तमान में कृषि पर्यवेक्षक के पद पर कार्यरत है। स्थानान्तरण आदेश दिनांक 23.08.2022 के द्वारा अपीलार्थिया का स्थानान्तरण मु.रामपुरा डाबडी, उप निदे. उद्यान, दुर्गापुरा, जयपुर से कार्यालय सहायक निदेशक, कृषि (वि) जिला सीकर में अन्वेषक के पद के विरूद्ध किया गया है। अपीलार्थी ने अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थिया का स्थानान्तरण केवल मात्र निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 पिंकी चौधरी को अनुचित लाभ देने की दृष्टि से किया गया है। इस कारण से स्थानान्तरण आदेश अनुचित होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलार्थिया के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अपीलार्थिया का स्थानान्तरण कर सहायक निदेशक, कृषि (वि) सीकर में अन्वेषक के रिक्त पद के विरूद्ध किया गया है जो दूसरे कैडर का पद है। इस प्रकार अपीलार्थिया का एक कैडर से दूसरे कैडर में स्थानान्तरण किया गया है, जो उचित नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति में उनकी सेवाएं विपरीत रूप से प्रभावित होगी।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से यह कथन किया गया है कि प्रशासनिक एवं जनहित कारणों से अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजस्थान सेवा नियमों के नियम 20 के तहत प्रशासन को चुस्त व दुरूस्त करने हेतु किया गया है। राज्य सरकार के किसी भी कर्मचारी को राज्यहित में किसी भी स्थान पर जरूरत के अनुसार पदस्थापित किया जा सकता है। एक लोकसेवक के सम्बन्ध में निर्णय का क्षेत्राधिकार नियोक्ता को हैं कि वह अपने लोक सेवक को कब और कहां, तथा किसी समय स्थानान्तरण किसी भी स्थान पर कर सकता है।

3. निजी प्रत्यर्थी पिंकी चौधरी की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण राज्य हित, जन हित एवं प्रशासनिक कारणों से अपीलार्थी का स्थानांतरण समुचित लोकसेवक की आवश्यकता के मध्यनजर रखते हुये ही रिक्त पद पर किया गया हैं। अपीलार्थी वर्ष 2018 से कृषि पर्यवेक्षक जयपुर में यथावत विद्यमान है एवं राज्य सरकार विभागीय कार्यो की प्राथमिकता को देखते हुए अपीलार्थी का स्थानान्तरण राज्य में किसी भी विभागीय कार्यालय में करने हेतु सक्षम है। अपीलार्थी का स्थानांतरण राज्य हित, जन हित एवं प्रशासनिक कारणों से अपीलार्थी का स्थानांतरण समुचित लोकसेवक की आवश्यकता के मध्यनजर रखते हुये ही रिक्त पद पर किया गया है। प्रत्यर्थी संख्या 3 पिंकी चौधरी की ओर से दिनांक 24.08.2022 कृषि पर्यवेक्षक, जयपुर में कार्य ग्रहण करा लिया गया है।

4. हमने पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत अभिकथनों एवं तर्को पर विचार किया। यह स्वीकृत तथ्य है कि अपीलार्थिया कृषि पर्यवेक्षक के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थिया का स्थानान्तरण कार्यालय सहायक निदेशक, कृषि (वि) सीकर जिले में किया गया है, जो कृषि पर्यवेक्षक के पद पर न कर अन्वेषक के रिक्त पद के विरूद्ध किया गया है। ऐसे में अपीलार्थिया को भिन्न पद के विरूद्ध लगाया गया है, जिस पद को वह धारित नहीं करती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रकरण सिविल अपील संख्या 2697/2007 तेजाश्री घग बनाम प्रकाश पुरूषोत्तम पाटील में पारित निर्णय दिनांक 17.05.2007 (AIR 2007 SC 2141) में यह माना है कि ऐसे स्थानान्तरण जिसमें कार्मिक का स्टेटस विपरीत रूप से प्रभावित होता है। वह स्थानान्तरण आदेश विधि विरूद्ध है। प्रस्तुत प्रकरण में चूंकि अपीलार्थिया का स्थानान्तरण उसके द्वारा धारित पद पर न कर अन्य पद के विरूद्ध किया गया है। ऐसे में यह स्पष्ट है कि ऐसे स्थानांतरण से अपीलार्थिया का स्टेटस विपरीत रूप से प्रभावित होगा। अतः इस प्रकार का स्थानान्तरण किया जाना उचित नहीं है।

5. परिणामस्वरूप यह अपील स्वीकार कर अपीलार्थिया के सम्बन्ध में पारित स्थानान्तरण आदेश दिनांक 23.08.2022 अपीलार्थिया की हद तक अपास्त किया जाता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्यर्थी विभाग प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नये सिरे से अपीलार्थिया व निजी प्रत्यर्थी का स्थानान्तरण नियमानुसार करने के लिये स्वतंत्र रहेगा।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)